



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षा सदन, 17, इन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
“Shiksha Sadan”, 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

वाहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए व्यय—प्रपत्र

1. दावाकर्ता का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. पदनाम
3. अनुभाग का नाम
4. यात्रा का उद्देश्य

तिथि	प्रस्थान	आगमन	से	तक	दूरी	धनराशि (रु०)

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. इस खाते में से पहले कोई भुगतान आहरित नहीं किया गया है।
2. यह कि उपर्युक्त दर्शाई गई राशि अधोहस्ताक्षरी द्वारा वास्तव में व्यय की गई।

हस्ताक्षर दावाकर्ता

नाम

प्रमाणित किया जाता है कि:

1. यह मामला इतना अनिवार्य था कि सामान्य संदेशवाहक के अतिरिक्त विशेष संदेशवाहक को भेजना पड़ा, कार्यालय द्वारा कोई स्टॉफ कार अथवा अन्य कोई वाहन नहीं उपलब्ध कराया गया।
2. दावाकर्ता बस / स्कूटर / टैकसी के लिए पात्र है अथवा दस्तावेज अत्यन्त महत्वपूर्ण / वजनदार था कि स्कूटर का प्रयोग करना अनिवार्य था और इसकी अनुमति प्रदान की गई थी।
3. यह दावा संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक एवं व्यावसायिक) / निदेशक (शैक्षणिक एवम प्रशिक्षण) की शक्तियों और सीमाओं के अंतर्गत है।
4. यह दावा न ही पहले प्रस्तुत किया गया है और न ही पहले इसका भुगतान हुआ है।
5. कृपया (रूपये) की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय संस्थीकृति प्रदान करें।

यात्रा के विवरण प्रमाणित किये जाते हैं।

कार्य प्रदान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

अधीक्षक

अनुभाग अधिकारी

कनिष्ठ लेखा अधिकारी या समकक्ष अधिकारी
संस्थीकृत

श्री को शीर्ष संख्या के अंतर्गत ₹ (रूपए)

आहरण एवं वितरण अधिकारी
शैक्षणिक एकक